न्यायालय अपर समाहर्त्ता, खूँटी

SAR Appeal वाद सं0—07R15 / 2007—08
हरी साहु वगैरह — अपीलकर्त्ता
बनाम्
कोयलो उरांव, फगुआ उरांव व मंगल उरांव — विपक्षीगण

आदेश

आदेश क्रमांक / तिथि Order No./Date	आदेश एवं पदाधिकारियों का हस्ताक्षर Order and Signature of Officer	आदेश की गयी कार्रवाई तिथि साहित Action taken on order with date
09.07.2021	यह अपील वाद विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के SAR वाद सं०—32 / 2004—05 लंगडु उरांव बनाम हरी साहु वगैरह में Bihar Scheduled Areas Regulation 1969/CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत दिनांक—24.04.2007 को पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी हरी साहु वगैरह पेशरान चमरा साहु साकिन—बमरजा थाना— कर्रा द्वारा दिनांक— 23. 05.2007 को विद्वान अपर समाहर्त्ता, राँची के न्यायालय में दायर किया गया जिसे विद्वान अपर समाहर्त्ता, राँची द्वारा सुनवाई हेतु स्वीकृत किया गया। खूँटी जिला गठन के पश्चात यह अपील अभिलेख विद्वान अपर समाहर्त्ता राँची के पत्रांक—2904(ii) / रा० दिनांक—13.09.2007 द्वारा विद्वान उपायुक्त, खूँटी के न्यायालय को प्राप्त हुआ। तत्पश्चात दिनांक—30.05.2009 को यह अभिलेख इस वाद के अग्रेतर कार्रवाई हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ है। दायर Memo Of Appeal, विपक्षीगण द्वारा समर्पित Written Arguments, निम्न न्यायालय का अभिलेख एवं अपील अभिलेख पर उपलब्ध कागजातों के अवलोकन तथा अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुनने के पश्चात वाद का विवरण निम्न प्रकार है— प्रश्नगत भूमि इस जिले के अंचल—कर्रा, मौजा—डुमारी थाना नं0—82, खाता नं०—29 प्लॉट सं०—280, कुल रकबा—10.00 ए० सर्वे खतियान में लंगडु उरांव वल्द केन्दुवा उरांव कौम—उरांव साकीन देह नवैयत कायमी दर्ज है। इसी खेसरा 280 के कुल खतियानी रकबा—10.00 ए० के मधे 5.00 ए० को लेकर उभय पक्षों के बीच विवाद चल रहा है। अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में अध—वटाई खाता के रूप में दर्ज है जो खतियान के Rent कॉलम—3,4,5 के अवलोकन से स्पष्ट है। साथ ही लंगडु उरांव पिता—कनदुआ उरांव द्वारा इस खेसरा का संम्पूर्ण रकबा—10.00 ए० वर्ष 1934 में Superior रैयत को Surrender कर दिया गया है। तब से प्रश्नगत भूमि अपीलार्थी के पूर्वज के दखल कब्जे मे चला आ रहा है। अपीलार्थी का कहना है इनके द्वारा वर्ष 1956 तक भूतपूर्व जमीनदार को एवं जमीनदारी उन्मुलन के पश्चात राज्य सरकार को लगान नियमित रूप से भुगतान किया जा रहा है। जबकि	

विपक्षीगण को कोई भी लगान रसीद निर्गत नहीं है। प्रश्नगत भूमि सर्वे खतियान में अध–वटाई के रूप में दर्ज होने की स्थिति में समाहर्त्ता द्वारा भूमि सुधार अधिनियम के तहत वाद सं०–58R VIII/1955–-56 बैजनाथ सिंह पिता–महादेव सिंह का लगान निर्धारण किया गया है। साथ ही पूर्व जमीनदार द्वारा प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि का Return इन्हे रैयत दर्शाते हुए समर्पित किया गया है। तद्नुसार बैजनाथ सिंह एवं मेघनाथ सिंह के नाम पंजी–II संधारित किया गया है। प्रश्नगत भूमि सहित अन्य भूमि को मेघनाथ सिंह एवं बैजनाथ सिंह पिता–महादेव सिंह के नाम बंटवारा हो चुका है। बंटवारा गांव के गणमान्य एवं दोनो हिस्सेदारों के बीच हुआ है। किसी के द्वारा कोई आपत्ति नहीं किया गया है। बंटवारा के पश्चात ये सभी आवंटित भूमि पर दखल काबिज हुए है। मेघनाथ सिंह एवं वैधनाथ सिंह को खाता–29 खेसरा–280 का 5.00–5.00 ए० भूमि हिस्से में मिला। उसमें से कई व्यक्तियों के साथ निबंधित विक्रय पत्र द्वारा इनके द्वारा बिक्री भी किया गया है। वैजनाथ सिंह एवं मेघनाथ सिंह अपीलार्थीगण एवं अन्य के साथ विभिन्न 04 (चार) निबंधित विक्रय पत्रों द्वारा विभिन्न तिथियों को प्रश्नगत भूमि बिक्रय किया है। प्रश्नगत भूमि क्रय के पश्चात क्रेता अपीलार्थी प्रश्नगत भूमि पर दखल काबिज हुए एवं अपना नाम अंचल अधिकारी कर्रा के कर्यालय में नामांतरण वाद संख्या–44/84 द्वारा नामांतरण कराएं एवं अपने नाम से लगान का भुगतान कर रहे है। लगान रसीद एवं विक्रय पत्र की प्रति समर्पित करते हुए विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के न्यायालय में SAR वाद खारिज करने का प्रार्थना किया, परन्तु विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा संगत SAR वाद स्वीकृत कर लिया गया जिससे विक्षुब्ध होकर इनके द्वारा यह SAR Appeal वाद दायर किया गया है एवं SAR वाद सं०–32/2004–05 में दिनांक–24.04.2007 को पारित आदेश को रद्द करने की प्रार्थना की गई है।

दूसरी तरफ विपक्षीगण का कहना है कि प्रश्नगत भूमि उनके पूर्वज लंगड्डु उरांव, पिता–कनदुआ उरांव नवैयत कायमी उपज का आधा लगान के रूप में दर्ज है जो सर्वे खतियान के कॉलम 3, 4, 5 के अवलोकन से स्पष्ट है। विपक्षीगण खतियानी रैयत के परपोता है। ऐसी स्थिति में बैजनाथ सिंह को प्रश्नगत भूमि को अपीलार्थीगण एवं अन्य को बेचने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अपीलार्थी द्वारा खतियानी रैयत लंगड्डु उरांव द्वारा प्रश्नगत भूमि को पूर्व जमीनदार को वर्ष 1934 को Surrender करने के दावे का खण्डन करते है। इसे गलत एवं मनगढ़ंत बताते हैं। जमीनदारी उन्मुलन के पश्चात खाता सं०–29 भूमि का लुसा उरांव, पिता–लंगड्डु उरांव एवं अन्य के पक्ष में नामान्तरण किया गया है एवं लगान का भुगतान कर रहे हैं तथा इन्हे लगान रसीद निर्गत किया जाता रहा है। खतियानी रैयत लंगड्डु उरांव के 3 (तीन) पुत्र 1. लुसा उरांव 2. चमरा उरांव एवं 3. रंसी उरांव हुए। विपक्षीगण चभरा उरांव के पोते है एवं खतियानी रैयत के परपोते है। लुसा उरांव एवं

	रंसी उरांव की मृत्यु निःसन्तान हो चुकी है। वर्त्तमान में विपक्षीगण ही खतियानी रैयत लंगड़ु उरांव के मात्र वैधिक उराधिकारी है। इनके द्वारा अपने समर्थन में लगान रसीद की प्रति समर्पित किया गया है। ये विपक्षीगण खतियानी रैयत लंगड़ु उरांव द्वारा प्रश्नगत भूमि को Superior रैयत को Surrender करने का अपीलार्थी के दावे का खण्डन करते हैं एवं प्रश्नगत भूमि का निबंधित विक्रय पत्र द्वारा अपीलार्थीगण एवं अन्य को हस्तांतरित किया जाना CNT Act की धारा–46 का उल्लंघन बताते हैं। तदनुसार नामान्तरण एवं लगान रसीद निर्गत करने की कार्रवाई को विधिक/नियमित नहीं मानते हैं। विपक्षीगण द्वारा अपीलार्थी के उपर्युक्त छलपूर्वक की गई कार्रवाई की जानकारी नहीं होने एवं जानकारी होने पर विद्वान अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी के न्यायालय में SAR वाद दाखिल करना निर्धारित अवधि का काल बाधित होना नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा पारित आदेश यथोचित एवं न्यायपूर्ण है। यह अपील खारिज योग्य है। इनके द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के वाद संख्या– CWJC No. 1823 of 1997 (R), Decided on August 19, 2004 कन्हाई दास बनाम बिहार सरकार एवं अन्य, वाद सं०–(C.W.J.C. No. 1202 of 1982 (R) Decided on july 27, 1987) देवतु ओहदार वनाम बिहार सरकार एवं अन्य तथा वाद सं०– CWJC No. 284 of 2000 (R) (4.7.2001) सुनील कुमार सिन्हा एवं अन्य बनाम् बिहार सरकार एवं अन्य में पारित न्यायादेशों की प्रति समर्पित किया गया है। उपर्युक्त परिस्थिति में समस्त साक्ष्यों के विश्लेशण से स्पष्ट है कि प्रश्नगत भूमि लंगड़ु उरांव वल्द कनदुआ उरांव कौम–उरांव साकीन देह कायमी वेहन वो चास का खरचा रैयत देता है गल्ला नीशम मालीक वो नीशम रैयत लेता है पुआल वो भुशा रैयत लेता है अधवटाई में भोश के रूप में सर्वे खतियान में दर्ज है। इस प्रकार विपक्षीगण के पूर्वज प्रश्नगत भूमि के कायमी रैयत है एवं इनके द्वारा तत्कालीन पूर्व जमीनदार को प्रश्नगत भूमि Surrender करने संबंधी प्रमाण अपीलकर्त्ता द्वारा समर्पित नहीं किया जा सका है। जब अपीलकर्त्ता गण द्वारा प्रश्नगत भूमि सन् 1982 एवं सन् 1986 में विभिन्न निबंधित दस्तावेजों द्वारा बैजनाथ सिंह वल्द महादेव सिंह साकिन–डुमारी से क्रय किया गया है तब इनके द्वारा 1956 तक भूतपूर्व जमीनदार को एवं जमीनदारी उन्मूलन के पश्चात राज्य सरकार को लगान भुगतान करने का दावा करना अविवेक पूर्ण एवं औचित्यहीन है। अपीलार्थीगण एवं अन्य के नाम नामान्तरण के पश्चात पंजी–II संधारित होना लगान भुगतान करना तथा प्रश्नगत भूमि पर दखल काबिज होना छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के प्रवधानों के प्रतिकूल छलपूर्वक की गई कार्रवाई प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत भूमि का विपक्षीगण के पक्ष में Bihar	

	Scheduled Areas Regulation Act 1969/CNT Act 1908 की धारा 71(A) के तहत अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी द्वारा SAR वाद सं०—32/2004—05 में दिनांक—24.04.2007 को पारित आदेश में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। इसे यथावत रखा जाता है। तदनुसार इस वाद का निस्तार किया जाता है आदेश की प्रति अनुमण्डल पदाधिकारी, खूँटी एवं अंचल अधिकारी, कर्रा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें। लेखापित एवं संशोधित 9.7.2021 अपर समाहर्त्ता, खूँटी 9.7.2021 अपर समाहर्त्ता, खूँटी	

Digitally signed by Arvind Kumar
Date: 2021.07.19 15:53:13 +05:30
Location: 192.168.43.12